रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032025-262000 CG-DL-E-27032025-262000

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/ चैत्र 6, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/ CHAITRA 6, 1947

No. 160]

## वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

सा.का.नि. 195(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194न के साथ पिठत धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में,--

(अ) प्ररूप सं0 26थ में,--

- (i) शीर्षक में, "194थ," अंकों और अक्षर के पश्चात्, "194न," अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) उपाबंध के टिप्पण सं0 16 में. सारणी के अंत में. निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा. अर्थात :--

"194न फर्म के किसी भागीदार को वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस या ब्याज | 94न"; का संदाय

(आ) प्ररूप सं0 27थ में.--

- (i) शीर्षक में, "194ढ," अंकों और अक्षर के पश्चात्, "194न," अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) उपाबंध के टिप्पण सं0 13 की सारणी में,--

2147 GI/2025 (1)

"195	अनिवासी को अन्य देय रकम	195";
पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित पंक्तियां रखी जाएंगी, अर्थात् :		
"194न	फर्म के किसी भागीदार को वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस या ब्याज	94न
	का सदाय	
195	किसी अनिवासी को देय अन्य रकम	195"

[फा. सं. 22/2025/फा0सं0 370142/08/2025-टीपीएल]

आशीष कुमार अग्रवाल, उप सचिव

टिप्पण--मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, अधिसूचना सं0 का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं0 सा0का0िन0 193 (अ), तारीख 25 मार्च, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2025

**G.S.R. 195(E).**— In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 194T of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 2025.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II,—
  - (A) in Form No. 26Q,
    - (i) in the heading, after the figures and letter "194S", the figures and letter "194T" shall be inserted;
    - (ii) in the Annexure, in the Note no. 16, in the Table at the end, the following shall be inserted, namely  $\cdot$ \_

"194T	Payment of salary, remuneration, commission, bonus or interest to a partner	94T";
	of firm	

- (B) in Form No. 27Q,—
  - (i) in the heading, after the figures and letter "194N", the figures and letter "194T" shall be inserted;
  - (ii) in the Annexure, in the Note no. 13, in the table, for the row,—

"195	Other sums payable to a non-resident	195",

the following rows shall be substituted, namely:-

"194T	Payment of salary, remuneration, commission, bonus or interest to a partner of firm	94T
195	Other sums payable to a non-resident	195"

[No. 22/2025/F. No. 370142/08/2025-TPL]

ASHISH KUMAR AGRAWAL, Dy. Secy.

**Note**: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 27<sup>th</sup> March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R 193 (E), dated the 25<sup>th</sup> March, 2025.